उत्तराखंड के सांसदों (लोकसभा व राज्यसभा) के आपराधिक,वित्तीय और अन्य विवरण

उत्तराखंड लोकसभा सदस्यों का संक्षिप्त विवरण

- उत्तराखंड से कुल पांच लोकसभा सदस्य हैं और सभी सदस्य कांग्रेस के है।
- कांग्रेस के हरीश रावत उत्तराखंड के अकेले लोकसभा सदस्य हैं जिनके खिलाफ एक आपराधिक मामला लंबित है।
- पांच सांसदों में चार (80 प्रतिशत) करोडपति हैं।
- सतपाल महाराज के पास सर्वाधिक 11 करोड रु. की संपत्ति है।
- प्रदीप टमटा के पास सबसे कम लगभग 16 लाख रु. की संपत्ति है।
- इन पांच सांसदों की औसत संपत्ति 3.66 करोड रु. है।
- कांग्रेस सांसद के.सी.सिंह बाबा पर सर्वाधिक 6.49 लाख रु. की देनदारी है।
- इन पांच सांसदों में तीन स्नातक **और उससे** अधिक शिक्षित हैं जिनमें प्रदीप टमटा स्नातकोत्तर हैं। श्री **के.सी.** सिंह बाबा और श्री सतपाल महाराज 12वीं कक्षा तक पढे हैं।
- लोकसभा में उत्तराखंड से कोई महिला सांसद नही है।

उत्तराखंड राज्यसभा सदस्यों का संक्षिप्त विवरण

- राज्यसभा में उत्तराखंड के तीन सांसद हैं जिनमें दो भाजपा और एक कांग्रेस के सदस्य हैं।
- राज्यसभा में उत्तराखंड के किसी सांसद के खिलाफ आपराधिक मामला लंबित नहीं है।
- कांग्रेस के श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी के पास सर्वाधिक 2.63 करोड रु. की संपत्ति है। वे राज्यसभा में उत्तराखंड के इकलौते करोडपति सांसद भी हैं।
- भाजपा के श्री भगत सिंह कोश्यारी के पास सबसे कम 23.7 **लाख** रु. की संपत्ति है।
- सांसदों की औसत संपत्ति 1.06 करोड रु. है।
- भाजपा के तरुण विजय ने सर्वाधिक 4.04 लाख रु. की देनदारी की घोषणा की है, उनके बाद श्री भगत सिंह कोश्यारी का स्थान आता है जिन पर 1.2 लाख रु. की देनदारी है।
- राज्यसभा में उत्तराखंड के तीन सांसदों में दो स्नातक **और उससे** अधिक शिक्षित हैं।
- राज्यसभा में उत्तराखंड की कोई महिला सांसद नहीं है।

लंबित आपराधिक मामलों के आधार पर विश्लेषण

कांग्रेस से हरीश रावत उत्तराखंड के अकेले लोकसभा सदस्य हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामला लंबित है।

क्रम संख्या	सासंद की जानकारी	भादवि धाराओं का संक्षिप्त विवरण	सदन
1	**नाम** : हरीश रावत **राज्य**: उत्तराखंड **निर्वाचन क्षेत्र**: हरिद्वार **दल**: कांग्रेस **कुल मामले** : 1 **भादवि की गंभीर धाराएं** : 0 **भादवि की अन्य धाराएं**: 3	मानहानि के बारे में एक मामला (भादवि धारा–499) मानहानि के बारे में एक मामला (भादवि धारा–500) आपराधिक षडयंत्र में दंड के बारे में एक मामला (भादवि धारा–120बी)	लोकसभा

तालिका : लंबित आपराधिक मामलों वाले संसद–सदस्य

संपत्ति के आधार पर विश्लेषण

लोकसभा सदस्यों की संपत्ति का विवरण

उत्तराखंड के पांच लोकसभा सदस्यों में चार करोडपति हैं। श्री सतपाल महाराज के पास सर्वाधिक 11.21 करोड रु. की संपत्ति है। प्रदीप टमटा के पास सबसे कम 15.90 लाख रु. की संपत्ति है।

इन पांच संसद सदस्यों की औसत संपत्ति 3.66 करोड रु. की है।

क्रम संख्या	नाम	निर्वाचन क्षेत्र	दल	चल संपत्ति	अचल संपत्ति	कुल संपत्ति
1	सतपाल महाराज	गढवाल	कांग्रेस	2,80,00,295	8,41,36,500	11 ,21,36,795 11 करोड +
2	के.सी. सिंह बाबा	नैनीताल–उधमसिंह नगर	कांग्रेस	30,87,049	4,09,00,000	4,39,87,049 4 करोड +
3	विजय बहुगुणा	टेहरी गढवाल	कांग्रेस	38,30,321	96,71,452	1,35,01,773 1 करोड +
4	हरीश रावत	हरिद्वार	कांग्रेस	83,75,335	34,50,000	1,18,25,335 1 करोड +
5	प्रदीप टमटा	अलमोडा	कांग्रेस	1,10,000	14,80,000	15,90,000 15 लाख +

तालिका : लोकसभा सदस्यों की संपत्ति का विवरण

राज्यसभा सदस्यों की संपत्ति का विवरण

कांग्रेस के सत्यव्रत चतुर्वेदी के पास सर्वाधिक 2.63 करोड रु. की संपत्ति है और वे राज्यसभा में उत्तराखंड के अकेले करोडपति संसद सदस्य भी हैं। भाजपा के श्री भगत सिंह कोश्यारी के पास सबसे कम 23.77 लाख रु. की संपत्ति है।

उत्तरखंड के राज्यसभा सदस्यों की औसत संपत्ति 1.06 करोड रु. है।

क्रम संख्या	नाम	दल	चल संपत्ति (रु)	अचल संपत्ति (रु)	कुल संपत्ति (रु)
1	सत्यव्रत चतुर्वेदी	कांग्रेस	1,54,06,221 1 करोड +	1,09,12,685 1 करोड +	2,63,18,906 2 करोड +
2	तरुण विजय	भाजपा	12,33,458 12 लाख +	20,64,000 20 लाख +	32,97,458 32 लाख +
3	भगत सिंह कोश्यारी	भाजपा	4,37,727 4 लाख +	19,40,000 19 लाख +	23,77,727 23 लाख +

तालिका : राज्यसभा सदस्यों की संपत्ति का विवरण

देनदारियों के आधार पर विश्लेषण

लोकसभा

कांग्रेस **से** के.सी.सिंह बाबा पर सर्वाधिक 6.49 लाख रु की देनदारी है।

क्रम संख्या	नाम	निर्वाचन क्षेत्र	दल	देनदारी (रु)	पैन
1	के.सी. सिंह बाबा	नैनीताल–उधमसिंह नगर	कांग्रेस	6,49,024 6 लाख +	हां

तालिका : लोकसभा सदस्यों की देनदारियों का विवरण

राज्यसभा

- भाजपा के तरुण विजय ने सर्वाधिक 4.04 लाख रु. की देनदारी की घोषणा की है, उनके बाद श्री भगत सिंह कोश्यारी का स्थान आता है जिन पर 1.2 लाख रु. की देनदारी है।

क्रम संख्या	नाम	दल	देनदारी(रु)	पैन
1	तरुण विजय	भाजपा	4,08,964 4 लाख +	हां
2	भगत सिंह कोश्यारी	भाजपा	1,20,000 1 लाख +	हां

तालिका : राज्यसभा सदस्यों की देनदारियों का विवरण

Data in this Kit is presented in good faith, with an intention to inform voters. Candidates' affidavit with nomination papers is the source of this analysis. www.adrindia.org, www.myneta.info

शैक्षिक पृष्ठभूमि के आधार पर विश्लेषण

लोकसभा सदस्यों की शैक्षिक विवरण

उत्तराखंड के पांच लोकसभा सदस्यों में तीन स्नातक **और उससे** अधिक शिक्षित हैं। प्रदीप टमटा उत्तराखंड से लोकसभा के अकेले सदस्य हैं जिनकी योग्यता स्नातकोत्तर है।

क्रम संख्या	नाम	दल	निर्वाचन क्षेत्र	शैक्षिक विवरण
1	प्रदीप टमटा	कांग्रेस	**अल्मोड़ा**	स्नातकोत्तर
2	हरीश रावत	कांग्रेस	हरिद्वार	स्नातक पेशेवर
3	विजय बहुगुणा	कांग्रेस	टेहरी गढवाल	स्नातक पेशेवर
4	के.सी. सिंह बाबा	कांग्रेस	नैनीताल–उधमसिंह नगर	12 वीं
5	सतपाल महाराज	कांग्रेस	गढवाल	12 वीं

तालिका : लोकसभा सदस्यों की शैक्षणिक योग्यता का विवरण

राज्यसभा सदस्यों की शैक्षणिक योग्यता का विवरण

राज्यसभा के तीन सदस्यों में दो स्नातक **और उससे** अधिक शिक्षित हैं। भाजपा के भगत सिंह कोश्यारी राज्यसभा में उत्तराखंड से अकेले सदस्य हैं जिन्होंने स्नातकोत्तर तक शिक्षा प्राप्त की है।

क्रम संख्या	नाम	दल	शैक्षणिक विवरण
1	भगत सिंह कोश्यारी	भाजपा	स्नातकोत्तर
2	सत्यव्रत चतुर्वेदी	कांग्रेस	अन्य
3	तरुण विजय	भाजपा	स्नातक

तालिका : राज्यसभा सदस्यों की शैक्षणिक योग्यता का विवरण

लोकसभा और राज्यसभा में महिला प्रतिनिधित्व

उत्तराखंड से लोकसभा और राज्यसभा में कोई महिला संसद–सदस्य नहीं है।

<u>अस्वीकरण:</u>

इस रिपोर्ट में संसद सदस्यों के बारे में दी गई जानकारी, उम्मीदवारों द्वारा नामांकन–पत्र के साथ दाखिल शपथपत्रों से ली गई है। शपथपत्रों की प्रतियां चुनाव आयोग की वेबसाइट (http://eci.nic.in)से प्राप्त की गई है। जानकारियों को शपथपत्रों में दर्ज सूचनाओं के साथ यथावत रखना सुनिश्चित करने के सारे प्रयास किए गए, फिर भी अगर इस रिपोर्ट में प्रस्तुत जानकारियों और शपथपत्र में दी गई जानकारियों में कोई भिन्नता हो तो उम्मीदवार द्वारा दाखिल शपथपत्र में दी गई जानकारियों को सही माना जाएगा। इस रिपोर्ट के प्रकाशन से अगर कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष क्षति होती है तो उसके लिए एसोसिएशन फॉर डिमोक्रेटिक रिफार्म्स, उत्तराखंड इलेक्शन वॉच और उनके स्वयंसेवकों को जिम्मेवार या उत्तरदायी नहीं माना जाएगा।